राजस्व विविध GCMS नंबर 2024/355 बअनवान भरत बनाम शारदा वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

शेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री गणपत लाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार उपस्थित अप्रार्थी सं. 4 से 6 के अधिवक्ता श्री भरत राठौड उपस्थित। वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बावत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं का निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–	

1. प्रथम दृष्टया मामला बनना:– प्रथम दृष्टया मामला बनने के परिक्षण का आधार राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति हो सकते है। प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बिसलपुर स्थित वादग्रस्त भुमि खसरा न. 2110 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा न. 2111 रकबा 0.85 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टर के खातेदार वादी के पिता कालुराम पुत्र भैरा कौम मेणा दर्ज होना प्रमाणित है तथा भैराराम के देहान्त के पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामान्तरणकरण सं0 897 दिनांक 29.10.2007 से कालुराम फौत होने पर रेखा पुत्री कालुराम, भंवरलाल, रतनलाल, भरतकुमार पिता कालुराम मेणा दर्ज किया गया तथा साथ में भरतकुमार नाबालिग वली भाई भंवरलाल सा.. देह खातेदार का अंकन किया गया, जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत पाठशाला प्रवेशानुज्ञा(टीसी) के अनुसार वादी की जन्मतिथि 31.10.1996 है जो एक अधिकृत दस्तावेज है। इस प्रकार नामान्तरणकरण सं. 897 के जरिये वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखो में दर्ज वादी के नाम के आगे नाबालिग शब्द का अंकन करते हुए वली भाई भंवरलाल सा. देह खातेदार का अंकन करना एब–इनिशिओ–वोईड है। तथा उक्त इन्द्राज को आधार मानते हुए अप्रार्थी सं. 1 में कुटरचित तरीके से दिनांक 09.01.2017 को वादग्रस्त भूमि का बेचान अपने पक्ष में करवाया जिसमे वादी की कोई सहमति नही ली गई। भूमि पुश्तैनी होने तथा पुश्तैनी हक राजस्व रेकर्ड खातेदार दर्ज होते हुए प्रार्थी की सहमति के बाला–बाला वादग्रस्त भूमि बाबत बेचाननामा अपने पक्ष में सपंन करवाना भी विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसी को आधार बनाते हुए वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र को यदि अप्रार्थीगण के दबाव मे उल्लेखित तथ्यो के आधार पर खारिज किया जाता है तो प्रस्तुत वाद व उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। विद्वान वकील अप्रार्थी वादी की स्कुलिंग टीसी मे उल्लेखित जन्म तारिख को गलत बताने तथा दसवी की मार्कशीट को आधार मानने की दलीले देने से नही थकते है परन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता स्वयं यह जानते है कि प्रार्थी भूमि की खरीद के समय 09.01.2017 को बालिग अवस्था में था इसके बावजुद न्यायालय का ध्यान भटकाते हुए यह दलील दी रही है कि अप्राथी सं. एक सदभावी क्रेता रही है जिससे प्रथम दृश्तया मामला ही प्रार्थी के पक्ष में नही होने से खारिज किए जाने की दलील दी जा रही है परन्तु उपर विवेचित के अनुसार भूमि पुश्तैनी रही है तथा कालुराम के देहान्त के बाद प्रार्थी का नाम भी वादग्रस्त के अधिकार अभिलेख मे बतौर सह खातेदार दर्ज हुआ है, अप्रार्थी स. 1 द्वारा भूमि खरीद के

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

समय रिकार्ड मे दर्ज इन्द्राज को नजरअंदार करते हुए इसका दोष प्रार्थी पर मडे, इसकी अनुमति विधि के प्रावधान प्रदान नही करते है जिससे प्रथम दृष्टाया प्रार्थी के पक्ष मे बनना प्रमाणित है।

2. सुविधा का सन्तुलनः– बिन्दु सं. 1 में किये विवेचन के अनुसार प्रार्थी के पिता कालुराम की खातेदारी रही है तथा कालुराम के देहान्त के पश्चात प्रार्थी का नाम भी अन्य वारिस के साथ हिस्सानुसार दर्ज किय गया। परन्तु अप्रार्थी स. 1 द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेज 09.01. 2017 में प्रार्थी की सहमति नही ली तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि भी अप्राथी स. 1 ने खरीद कर ली। जिसको आधार बनाते हुए प्रार्थी द्वारा घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके निस्तारण में समय लगेगा। एवं अब उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाता है तो वादग्रस्त भुमि के अधिकार अभिलेखो में दर्ज गलत इन्द्राज की आड में अप्रार्थी भुमि को अन्यत्र बेचान करने एवं खुदबुर्द करने में सफल हो जावेगे। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का मकसद ही समाप्त हो जावेगा इस प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दशा में प्रार्थी को भारी असुविधा होगी इसके विपरित यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा वाद कार्यवाही के पश्चात वादी का वाद खारिज हो जाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा होना प्रमाणित नही है। जिससे उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. अपुरणीय क्षति का मामलाः– बिन्दु सं. 1 में किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भुमि पुश्तैनी भूमि होने से वादी द्वारा पुश्तैनी हक अनुसार घोषणा खातेदार व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वाद के निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया जाता है तो प्रार्थी को नाना प्रकार की कठिनाईयो से सामना करने की सभांवना से इन्कार नही किया जा सकता। इसके विपरित यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई हानि होने की सभांवना नही है। जिससे उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ की कसौटी पर परिक्षण करने पर प्रार्थी का उक्त प्रकरण खरा उतरने से वादग्रस्त भुमि बिसलपुर के खसरा न. 2110 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा न. 2111 रकबा 0.85 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टर एवं इससे बने नये बटा नंबर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण मुल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली